याचिका क्र. 127/05

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

श्री सब्बरवाल पुत्र आनन्द प्रकाश, — आवेदक
डायरेक्टर स्टरलिंग कान्ट्रेक्टर एवं बिल्डर्स प्रा.लि.,
ई–3/46, अरेरा कालोनी, भोपाल.

विरूद्ध

म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल व अन्य — अनावेदक

: आदेश :

(दिनाँक 17 जनवरी, 2006 को पारित)

विषय : स्टरलिंग ग्रीन व्हीव – 2, चूना भट्टी, भोपाल प्रोजेक्ट के बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु जमा किए गए सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेस रू. 409400/– एवं सुपरविजन चार्जेस रू. 92343/– कुल रू. 501743/– को वापिस करने हेतु म.प्र. विद्युत मण्डल को निर्देशित करने हेतु याचिका ।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री विनय शर्मा, अभिभाषक उपस्थित ।

अनावेदक श्री एम.एस. आप्टे – ए.एस.ई. (दक्षिण) उपस्थित ।

याचिकाकर्ता समीर सब्बरवाल बिल्डर, अरेरा कालोनी, भोपाल द्वारा यह याचिका सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेज 501743/– रू. विपक्षी विद्युत वितरण कम्पनी से वापस दिलाने हेतु मण्डल को निर्देशित करने के संबंध में दिनांक 12.10.2005 को प्रस्तुत की गई है ।

2. याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के संबंध में बतलाया गया कि प्रोजेक्ट स्टरलिंग ग्रीन व्हीव के 40 निवासियों को घरेलू कनेक्शन देने के विद्युतीकरण हेतु विपक्षी के समक्ष दिनांक 2.3.2004 को आवेदन प्रस्तुत किया था जिसके 39 प्लाटो हेतु 178 के.डब्ल्यू विद्युत भार की आवश्यकता बताई गई थी । तद्नुसार विपक्षी द्वारा आवेदक की मांग ... पत्र दिनांक 31.3.2004 द्वारा स्वीकृत करते हुए रूपये 92343 के सुपरवीजन चार्जेज सहित रूपये 501743 का डिमांड नोट आवेदक को दिया गया । आवेदक द्वारा उक्त राशि दिनांक 13.4.2004 को विपक्षी को दे दी गई । आवेदक द्वारा राशि वित्तीय वर्ष 2003–04 के बजाय 2004–05 में जमा की गई, इस कारण सुपरवीजन चार्जेज की FY 05 के अनुसार गणना की जाकर आवेदक को 4508 रूपये की अतिरिक्त राशि को शामिल करते हुए संशोधित मांग पत्र रूपयें 506251 का प्रार्थी को दिनांक 24.01.05 को दिया गया । उक्त राशि आवेदक ने 25.1.2005 को जमा करा दी ।

3. याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि सप्लाई कोड की कण्डिका 4.32 में संशोधन के अनुसार सिस्टम स्ट्रेंथनिंग चार्जेज, केपेसिटी बिल्डिंग चार्जेज एवं पावर सब स्टेशन के अतिरिक्त का व्यय लाईसेंसी द्वारा यानि विपक्षी द्वारा वहन किया जाना है । इसके कारण याचिकाकर्ता द्वारा

उक्त कार्य हेतु जमा कराई गई कुल राशि 506251/– विपक्षी से वापस दिलाने हेतु विपक्षी को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया ।

4. उपर्युक्त याचिका के संबंध में विपक्षी द्वारा आयोग को बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व दिनांक 15.9.05 को एक आवेदन प्रस्तुत कर यह राशि वापसी का अनुरोध किया था जिस पर मण्डल के पत्र क्र. 5443 दिनांक 21.9.05 द्वारा उसे वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । वास्तविकता यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाने के लिये गलत अर्थ लगाया जा रहा हैं । याचिककर्ता का परिसर कालोनी की श्रेणी में आता है तथा उसनें 40 कनेक्शन के लिये 178 कि.वा. भार चाहा हैं । ऐसी स्थिति में विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 43 अनुसार ''नवीन उपभोक्ताओं की मांग पूर्ति के लिये वितरण मेन के विस्तार तथा प्रणाली के विस्तार/उन्नयन की लागत का उपभोक्त अथवा उपभोक्ताओं के समूह द्वारा भुगतान आयोग के निर्धारण के अनुसार किया जावेगा'' । अनावेदक के अनुसार आवेदक ने सिस्टम स्ट्रेंथिनिंग चार्जेस की राशि 13.4.04 को ही जमा कर दी थी व तकनीकी स्वीकृति भी 31.3.2004 को दे दी गई थी । इस कारण याचिकाकर्ता सुपरवीजन चार्जेस व सिस्टम स्ट्रेंथिनिंग चार्जेस वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । याचिकाकर्ता ने यह याचिका माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर आयोग का समय व लोकधन नष्ट किया हैं । अतः अनावेदक द्वारा आयोग के समक्ष इस याचिका को संव्यय निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया ।

5. आज दोनो पक्षों को श्रवण किया गया । प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने व आवेदक को श्रवण करने के उपरांत, आयोग का यह मत है कि आवेदक द्वारा सिस्टम स्ट्रेंथिनिंग चार्जेस 13.4.04 को ही जमा कराया था, इस कारण आवेदक को इस राशि को विपक्षी से रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । वर्ष 2005 से सुपरवीजन चार्जेज की संशोधित राशि का वेलेंस रू. 4508 ही जमा किया था । आयोग के मतानुसार आवेदक को इस बारे में कथन स्पष्ट भी नहीं है । याचिका उक्त कारणों से तथ्यहीन है । इस कारण यह याचिका निरस्त की जाती है ।

उपरोक्तानुसार आदेश पारित ।

(आर. नटराजन)	(डी. रायबर्धन)	(पी.के. मेहरोत्रा)
सदस्य (इकॉनामिक)	सदस्य (अभि.)	अध्यक्ष.